न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 44 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटरा **रेस्पोडेंटगण**

चिमनाराम पुत्र पदमाराम जाति माली निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. भुराराम पुत्र भेराराम 2. भवाराम पुत्र भेराराम 3. सांवलाराम पुत्र भेराराम 4. केसाराम पुत्र रूड़ाराम 5. छोगाराम पुत्र रूड़ाराम 6. भूपाराम पुत्र रूड़ाराम 7. मोहनलाल पुत्र रूड़ाराम 8. गजाराम पुत्र हेमाराम 9. नरपत पुत्र हेमाराम 10. मन्साराम पुत्र कालुराम 11. रमेशकुमार पुत्र कालुराम 12. लिखमाराम पुत्र कालूराम जाति माली निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 13. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 131 / 2022 बउनवान भूराराम बनाम केसाराम में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री 09.02.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।
3. वकील श्री भंवरलाल चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 04 से 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 से 03 (वादी) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 1772/1293 क्षेत्रफल 8.3690 हैक्टयर की अवस्थित है। अपीलाधीन आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है तथा हिस्से खुले हुए हैं उक्त आराजी वादीगण प्रत्येक का 146/3117–146/3117 हिस्सा तथा उत्तरदाता संख्या 04 से 07 प्रत्येक का 229/4156–229/4156 हिस्सा तथा उत्तरदाता संख्या 8 से 12 का 275/1039–275/1039 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवारा नहीं होने से प्रतिवादीगण हमेशा वादीगण के कब्जे में दखल हस्तक्षेप करते रहते हैं। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट के द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 107/2023 पेश की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 10.01.2024 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.07.2023 को संशोधित कर आदेश दिये गये कि "वादीगण/उत्तरदाता संख्या 01 से 03 के साथ अपीलांट एवं उत्तरदाता संख्या 04 से 07 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार अलग कर काई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में भूमि की गुणवत्ता/स्थायी आलामात/कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।" अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव संशोधित प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी के सेढा पर नहर आई हुई है। नहर पर अपीलांट, उत्तरदाता संख्या 01 से 03 व उत्तरदाता

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 04 से 07 अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज है। उत्तरदाता संख्या 01 से 03 नहर पर अपने हक अधिकार से अधिक अपीलांट के हक की भूमि हड़प करना चाहते हैं। अपीलांट को नहर पर उसके हक अधिकार से वंचित किया गया। अपीलांट को नहर से भूमि सिंचित करने से वंचित करने के उद्देश्य से विभाजन प्रस्ताव गलत तैयार किया गया व उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट के हक हिस्सा की जमीन पृथक नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि उत्तरदाता संख्या 01 से 03 के बंट में चली गई। लेकिन वर्तमान में आज दिन तक मौके पर नहर से लगती हुई भूमि पर कब्जा अपीलांट, उत्तरदाता संख्या 01 से 03 का संयुक्त है। अपीलाधीन आराजी का विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान के विभाजन नियम 18 से 21 के विपरीत किया गया। अपीलाधीन आराजी का विभाजन नहर की सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रख कर किया जाना आवश्यक है जो नहीं किया गया। किसी भी एक पक्षकार को सम्पूर्ण भूमि नहर पर व दूसरे पक्षकार को नहर से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट 01 से 03 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किये गये जो अपीलांटस से विधिवत तामील करवाये गये। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में दो बार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अपीलांट को दोनों ही विभाजन पर आपत्ति रही है तथा आपत्ति का कारण बंटवारा नहीं होने देना है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहर पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण अपीलांट को नहर पर भूमि प्रस्तावित नहीं की गई। सिंचाई सुविधा के लिए पाईप लाईन से सिंचाई की जा सकती है। अपीलांटस की मंशा उत्तरदाता/वादी के खातेदारी अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर बंटवारा नहीं होने देने की है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 04 से 07 ने अपनी लिखित बहस पेश कर उसमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं द्वारा मौका देखा गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मौके की पूर्ण जांच की। हस्तगत विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार सही एवं विधि सम्मत है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व विधिनुसार उभयपक्ष को नोटिस जारी कर विधिवत तामील करवाये गये। अपीलांट प्रकरण को अनावश्यक चुनौती देकर पक्षकारान को परेशान कर रहे हैं। अतः अपीलांट की अपील को मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उभयपक्ष के नाम से सम्मन जारी किये गये जो पक्षकारान से विधि सम्यक तामील करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश किया, जिस पर दिनांक 09.02.2024 को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अंतिम डिक्री जारी की गई। हस्तगत प्रकरण में दो बार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा अंतिम बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की गई है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 131/2022 बउनवान भूराराम बनाम केसाराम में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री 09.02.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

10/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर